UPLL010021492021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

उपस्थित– गुलाब सिंह–II, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. CODE– UP–5942
सत्र परीक्षण सं० 303/2021,

उ०प्र० राज्य **प्रति** **विजय आदि**

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज सं० 57 ख अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं०</u>

<u>31–07–2024 :</u>

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी।

1. प्रार्थनापत्र कागज सं० 57 ख अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति कागज सं० 59 ख पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी मुकदमा तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को पूर्व नियत दिनाँक को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

2. प्रार्थनापत्र कागज सं० 57 ख अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० अभियोजन पक्ष/ वादी मुकदमा सुरजन सिंह की ओर से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है, कि दिनाँक 10–08–2020 को समय करीब 08–30 बजे दिन में उसके पिता हरनाम सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे, कि घर के सामने रहने वाले सुदामा से कहा कि उसके घर के दरवाजे पर गन्दगी क्यों फैलाते हो, तो इसी बात पर सुदामा, विजय, रवि ने उसके पिता को माँ बहनों की गालियाँ देते हुये लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की। वह अपने पिता को बचाने आया तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा दिनाँक 11–08–2020 को दर्ज करायी गयी थी। उक्त मामले में विवेचक द्वारा सुदामा का नाम विवेचना के समय हटा दिया गया तथा रवि व विजय के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में उक्त प्रकरण में **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह वादी मुकदमा तथा **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह चुटैल एवं चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य हो चुका है, जिसमें विजय व रवि के साथ–साथ सुदामा का नाम भी घटना कारित करने वालों में आया है। इसी आधार पर प्रस्तावित विपक्षी सुदामा को विचारण हेतु आहूत किये जाने की याचना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विचाराधीन अभियुक्तगण विजय व रवि के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र जैन एडवोकेट द्वारा लिखित आपत्ति कागज सं० 59ख दाखिल करते हुये कथन किया गया है, कि प्रार्थनापत्र असत्य व भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह वादी मुकदमा की जिरह माह अगस्त, 2022 में हो चुका था, उसके दो वर्ष बाद प्रार्थनापत्र देने का कोई औचित्य नहीं है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा सुदामा के विरूद्ध कोई साक्ष्य न पाते हुये उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह व **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह केवल सुदामा की मौके पर उपस्थिति बतायी है, किन्तु सुदामा द्वारा किस हथियार से किसकी मारपीट की गयी, यह नहीं कहा गया है। चूंकि वादीपक्ष व अभियुक्त पक्ष का मकान आमने–सामने है और दोनों के मकान के मध्य 10–12 फीट की दूरी है, जिस कारण सुदामा की अपने घर के बाहर उपस्थिति नैसर्गिक है, उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है, कि सुदामा घटना कारित करने में सहयोग कर रहा था। उनका यह भी कथन है, कि अभियोजन द्वारा जो मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर प्रस्तावित विपक्षी सुदामा को विचारण हेतु आहूत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० को निरस्त करते हुये सत्र परीक्षण को शीघ्र निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

4. प्रस्तुत सत्र परीक्षण के अवलोकन से स्पष्ट है, कि इस सत्र परीक्षण से सम्बन्धित घटना की तहरीर **प्रदर्श क–1** सुरजन सिंह द्वारा दिनाँक 11–08–2020 को समय 11–12 बजे थाना जखौरा, जिला ललितपुर में इस आशय से पंजीकृत करायी गयी है, कि दिनाँक 10–08–2020 को समय करीब 08–30 बजे दिन में उसके पिता हरनाम सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे, कि घर के सामने रहने वाले सुदामा से कहा कि उसके घर के दरवाजे पर गन्दगी क्यों फैलाते हो, तो इसी बात पर सुदामा, विजय, रवि ने उसके पिता को माँ बहनों की गालियाँ देते हुये लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की। वह अपने पिता को बचाने आया तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

5. वादी मुकदमा सुरजन सिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर सुदामा, विजय व रवि के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत हुयी। उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक ओमकार द्वारा की गयी तथा विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण विजय व रवि के विरूद्ध धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि दौरान विचारण अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में तथ्य के साक्षीगण में **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह (वादी मुकदमा/चक्षुदर्शी साक्षी) तथा **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह (चुटैल)को परीक्षित कराया गया है।

7. **पी०डब्लू० 1 सुरजन सिंह (वादी मुकदमा/चक्षुदर्शी साक्षी)** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, कि उसके पिता हरनाम सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे, कि घर के सामने रहने वाले सुदामा से कहा कि उसके घर के दरवाजे पर गन्दगी क्यों फैलाते हो, तो इसी बात पर सुदामा, विजय, रवि ने उसके पिता को माँ बहनों की गालियाँ देते हुये लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की। वह अपने पिता को बचाने आया तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

8. **पी०डब्लू० 2 हरनाम सिंह चुटैल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था, कि सुदामा के लड़के विजय व रवि उसके घर के सामने कचरा फेंक रहे थे। उसने कचरा फेंकने से मना किया तो उसे माँ बहनों की गालियाँ दी। उसने गालियाँ देने से मना किया तो सुदामा व उसके लड़के रवि व विजय ने लाठी व कुल्हाड़ी से मारा पीटा। रवि कुल्हाड़ी लिये था तथा विजय व सुदामा लाठी लिये थे। मारपीट से उसे सिर, कमर व पेट में चोटें आयीं थी। सिर में आयी चोट से खून बह रहा था। उसके चिल्लाने पर उसका पुत्र सुरजन, सटौले, सतीश और अन्य गाँव के लोग आ गये थे। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर साक्षी ने कथन किया है, कि उसके लड़के सुरजन सिंह, अजित सिंह व बहू श्रीमती सीमा के विरूद्ध ग्रामीण न्यायालय, तालबेहट में अंजना, रवि, **सुदामा** और दीपक उर्फ विजय की मारपीट के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के गवाहन **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह (चुटैल) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है, कि सुदामा के लड़के विजय व रवि उसके घर के सामने कचरा फेंक रहे थे। उसने कचरा फेंकने से मना किया तो उसे माँ बहनों की गालियाँ दी। उसने गालियाँ देने से मना किया तो सुदामा व उसके लड़के रवि व विजय ने लाठी व कुल्हाड़ी से मारा पीटा। रवि कुल्हाड़ी लिये था तथा विजय व सुदामा लाठी लिये थे। मारपीट से उसे सिर, कमर व पेट में चोटें आयीं थी। सिर में आयी चोट से खून बह रहा था। **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह(वादी मुकदमा/चुटैल) ने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है, कि वह अपने पिता को बचाने आया तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

10. मुकदमा के विवेचक ने सुदामा राय पुत्र नारायण दास राय, कप्तान सिंह यादव पुत्र महेश यादव, गब्बर सिंह पुत्र इमरत सिंह की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के आधार

पर प्रस्तावित अभियुक्त सुदामा की घटना में नामजदगी को गलत पाते हुये उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

11. **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है, कि अंजना, रवि, **सुदामा** और दीपक उर्फ विजय की मारपीट के सम्बन्ध में उसके लड़के सुरजन सिंह, अजित सिंह व बहू श्रीमती सीमा के विरूद्ध ग्रामीण न्यायालय, तालबेहट में मुकदमा चल रहा है। उक्त कथनों से स्वतः यह स्पष्ट है, कि प्रस्तावित अभियुक्त सुदामा घटनास्थल पर मारपीट करने में संलिप्त था , जिससे वादीपक्ष की प्रतिरक्षा में सुदामा को भी चोटें आयीं थी।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य** [2014(85) ACC 313 (SC)] प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त वाद का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य** [2014(85) ACC 313 (SC)] की निर्णय विधि के प्रस्तर क्रमांक 98 में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

> "98. Power under section 319, Cr.P.C. is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate or the Sessions Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person form the evidence led before the Court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त से यह स्पष्ट है, कि धारा 319 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत किसी भी अभियुक्त को तलब करने के लिए ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य विद्यमान होना चाहिए। विचारण न्यायालय को इसका प्रयोग यांत्रिक रूप से नहीं करना चाहिए।

13. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त सम्पूर्ण परिचर्चा से स्पष्ट है, कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के गवाहन **पी०डब्लू० 1** सुरजन सिंह(वादी मुकदमा/चक्षुदर्शी साक्षी) तथा **पी०डब्लू० 2** हरनाम सिंह (चुटैल) ने प्रस्तावित अभियुक्त सुदामा की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तावित अभियुक्त भी उस अपराध को करने का दोषी है और उक्त साक्षियों की साक्ष्य पर प्रस्तावित अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्त सुदामा की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य विद्यमान है, जिसके आधार पर प्रस्तावित अभियुक्त विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र 57 ख अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

15. प्रार्थनापत्र 57 ख अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित अभियुक्त सुदामा को धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया जाता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम सुदामा के लिए दिनाँक 20–08–2024 को पेश हो।

(गुलाब सिंह–II),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
ललितपुर।
J.O.CODE–UP5942

Digitally signed by GULAB SINGH
Date: 2024.07.31 16:13:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court